उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2019

सा.का.नि.359.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, आचार्य (जैव रसायन), सहायक आचार्य (जैव रसायन) और कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन) भर्ती नियम, 2007 और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर (वर्ग-3) नियम, 1958 को जहां तक इनका संबंध अनुसंधान सहायक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में आचार्य (जैव रसायन), सहायक आचार्य (जैव रसायन), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन) और अनुसंधान सहायक (जैव रसायन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर आचार्य (जैव रसायन), सहायक आचार्य (जैव रसायन), कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन) और अनुसंधान सहायक (जैव रसायन) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य शैक्षिक अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आचार्य (जैव रसायन)	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह “क” राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 13 (1,23,100-2,15,900 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	**मिश्रित पद्धति:** प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800 रुपए – 2,09,200 रुपए) अथवा समकक्ष स्तर में जिन्होनें नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) जिन्होनें मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700 रुपए – 2,08,700 रुपए) अथवा समकक्ष स्तर में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों, अनिवार्य: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जैव रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक प्रश्न पत्र के रूप में जैव रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

डिग्री; और (ii) जैव रसायन में अनुसंधान कार्य का बारह वर्ष का अनुभव अथवा शर्करा कारखाने या डिस्टीलरी अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में बारह वर्ष का कार्य करने का अनुभव अथवा डिग्री स्तर पर जैव रसायन में बारह वर्ष का शिक्षण अनुभव; टिप्पणी: अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभव पर विचार किया जाएगा। वांछनीय: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जैव रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा रसायन विज्ञान में डाक्टरेट के साथ एक प्रश्न पत्र के रूप में जैव रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) अनुसंधान कार्य में गाइड करने का अनुभव। **टिप्पण 1:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700 रुपए – 2,08,700 रुपए) में वे विभागीय सहायक आचार्य (जैव रसायन) जिन्होंने दस वर्ष की नियमित सेवा की है, पर भी प्रतिनियुक्त अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविद सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविद सहित) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक आचार्य (जैव रसायन)	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 11 (67,700 -2,08,700 रुपए)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	**मिश्रित पद्धति:** प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी:	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100 रुपए – 1,77,500 रुपए) अथवा समतुल्य स्तर में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों, अनिवार्य: (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जैव रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक प्रश्नपत्र के रूप में जैव रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) जैव रसायन में अनुसंधान कार्य का 5 वर्ष का अनुभव अथवा शर्करा कारखाने या डिस्टीलरी में अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव अथवा डिग्री स्तर पर जैव रसायन में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव । टिप्पणी : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभव पर विचार किया जाएगा। वांछनीय: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जैव रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा रसायन विज्ञान में डाक्टरेट के साथ एक प्रश्न पत्र के रूप में जैव रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; (ii) अनुसंधान कार्य में गाइड करने का अनुभव। **टिप्पणी 1:** वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100 रुपए – 1,77,500 रुपए) में विभागीय कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन) जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, पर भी प्रतिनियुक्ति हेतु बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविद सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविद सहित) की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जैव रसायन)	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अनतुसचिवीय	स्तर 10 (56,100 -1,77,500 रुपए)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	मिश्रित पद्धति: प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा पब्लिक सेक्टर उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600 रुपए – 1,51,100 रुपए)/ स्तर-9(53,100 रुपये- 1,67,800 रुपये) अथवा समतुल्य स्तर में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 2 वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iii) मूल काडर/ विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900 रुपए – 1,42,400 रुपए) अथवा समतुल्य स्तर में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा की हो; अथवा (iv) मूल काडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400 रुपए – 1,12,400 रुपए) अथवा समतुल्य स्तर में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 8 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों, **अनिवार्य:** (क) (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जैव रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक प्रश्नपत्र के रूप में जैव रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) जैव रसायन में अनुसंधान कार्य का 3 वर्ष का अनुभव अथवा शर्करा कारखाने या डिस्टिलरी में अथवा अन्य संबंधित औद्योगिक यूनिट में 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव अथवा डिग्री स्तर पर जैव रसायन में 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव। **टिप्पणी:** अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए गए अनुभव पर विचार किया	**समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार हेतु):** 1. संयुक्त सचिव (शर्करा), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय -अध्यक्ष 2. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य 3. निदेशक/उप सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

जाएगा। **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जैव रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा रसायन विज्ञान में डाक्टरेट के साथ एक प्रश्न पत्र के रूप में जैव रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री; **टिप्पणी 1**: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35,400 रुपए – 1,12,400 रुपए) में विभागीय अनुसंधान सहायक (जैव रसायन) जिन्होने 8 वर्ष की नियमित सेवा की है, पर भी प्रतिनियुक्ति हेतु बाहरी अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविद सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविद सहित) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (अल्पावधिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. अनुसंधान सहायक (जैव रसायन)	01*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 6 (35,400 - 1,12,400 रुपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी कर्मचारियों के मामले में केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी: आयु सीमा निर्धारित करने की निश्चित तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी उप-प्रभाग, अंडमान व

					निकोबार द्वीप-समूह अथवा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के मामले में निर्धारित अंतिम तारीख नहीं होगी)।

(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जैव रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा एक प्रश्न पत्र के रूप में जैव रसायन सहित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री। **टिप्पणी-1** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पणी-2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कारणों को लिखित रूप में लेखबद्ध करके तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन अवकाश अथवा अन्य किन्हीं परिस्थितियों में 01 वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है, जो,- (क) (i) मूल काडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों अथवा, (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 5 (29200-92300 रुपये) अथवा समतुल्य में नियमित आधार पर उस ग्रेड में नियुक्ति के बाद 6 वर्ष की सेवा की हो; और (ख) सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ (7) के अधीन विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार हेतु):** 1. निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -अध्यक्ष 2. सहायक आचार्य अथवा समतुल्य पद का एक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/2/2018-एसए]

धीरेंद्र कुमार, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 26th November, 2019

G.S.R. 359.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Bio-Chemistry), Assistant Professor (Bio-Chemistry), Junior Scientific Officer (Bio-Chemistry) Recruitment Rules, 2007 and the National Sugar Institute, Kanpur (Class III posts) Rules, 1958 in so far as they relate to the post of Research Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Professor (Biochemistry), Assistant Professor (Biochemistry), Junior Scientific Officer (Biochemistry) and Research Assistant (Biochemistry) in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, namely :-

1. **Short title and Commencement .—** (1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur, Professor (Biochemistry), Assistant Professor (Biochemistry), Junior Scientific Officer (Biochemistry) and Research Assistant (Biochemistry) Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix .—** The number of posts, their classification and level in the pay matrix relating thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Professor (Biochemistry)	* 01 (2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level 13 (Rs.1,23,100-2,15,900).	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	**Composite method:** Promotion/ deputation (including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made	If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted
(11)	(12)	(13)
Promotion/ deputation (including short-term contract). Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or recognised research institutes or Universities or public sectors undertakings or autonomous or statutory organisation,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto in Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience as under:- Essential: (A) (i) Master's degree in Biochemistry or Master's Degree in Chemistry with Biochemistry as one of the papers from a recognised University or institute; (ii) twelve years' experience of research work in Biochemistry or twelve years working experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or Twelve years teaching experience at degree level in Biochemistry. **Note.-** The experience shall be considered after attaining the essential educational qualifications. Desirable: (i) Master's Degree in Biochemistry or Master's Degree in Chemistry with Biochemistry as one of the papers with Doctorate in Chemistry from a recognised University or institute. (ii) Experience of guiding research work. **Note 1**:- Departmental Assistant Professor (Biochemistry) with ten years' regular service in Level- 11 (Rs. 67,700 – 2,08,700) in the pay matrix shall also be considered along-with deputationists. In case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:-** The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 4:-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Professor (Biochemistry)	* 01 (2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Level 11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not Applicable	Not Applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Composite method: Promotion/ deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
Promotion/ deputation (including short-term contract). Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or recognised research institutes or Universities or public sectors undertakings or autonomous or statutory organisation,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience as under. Essential: (A) (i) Master's degree in Biochemistry or Master's Degree in Chemistry with Biochemistry as one of the papers from a recognised University or institute. (ii) five years' experience of research work in Biochemistry or five years' working experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or five years teaching experience at degree level in Biochemistry. **Note:-** The experience shall be considered after attaining the essential educational qualifications. Desirable: (i) Master's Degree in Biochemistry or Master's Degree in Chemistry with Biochemistry as one of the subjects with Doctorate in Chemistry from a recognised University or institute. (ii) Experience of guiding research work. **Note 1**:- Departmental Junior Scientific Officers (Biochemistry) with five years' regular service in Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix shall also be considered alongwith outsiders for appointment on deputation and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:-** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

four years. **Note 3:-** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Junior Scientific Officer (Biochemistry)	* 01 (2019) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level 10 (Rs.56,100-1,77,500)	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	**Composite method:** Promotion/ deputation (including short-term contract)

(11)	(12)	(13)
Promotion/ deputation (including short-term contract). Officers under the Central Government or State Governments or Union territories Administrations or recognised research institutes or Universities or public sectors undertakings or autonomous bodies or statutory organisation.- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-8 (Rs. 47,600 – 1,51,100)/ Level-9 (Rs. 53,100 – 1,67,800/-) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-7 (Rs. 44,900 – 1,42,400) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; or (iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Level-6 (Rs. 35,400 – 1,12,400) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as under:-	**Group 'A' Departmental Promotion Committed (for considering confirmation):** 1. Joint Secretary (Sugar) Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. - Chairperson 2. Director, National Sugar Institute, Kanpur -Member 3. Director/ Deputy Secretary, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

Essential: (A) (i) Master's degree in Biochemistry or Master's Degree in Chemistry with Biochemistry as one of the papers from a recognised University or institute; and (ii) three years' experience of research work in Biochemistry or three years working experience in sugar factory or distillery or other related industrial units or three years teaching experience at degree level in Biochemistry. **Note:-** The experience shall be considered after the essential educational qualifications. **Desirable:** (i) Master's Degree in Biochemistry or Master's Degree in Chemistry with Biochemistry as one of the subjects with Doctorate in Chemistry from a recognized University or institute. **Note 1**:- Departmental Research Assistant (Biochemistry) in the Level-6 (Rs. 35,400 – 1,12,400) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders for appointment on deputation and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 2:-** The Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Research Assistant (Biochemistry)	* 01 (2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 6 (Rs.35,400-1,12,400).	Not applicable	Not exceeding thirty years (Relaxable for government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, union territory of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: Master's degree in Biochemistry or Master's Degree in Chemistry with Biochemistry as one of the papers from a recognised University or institute. **Note 1**.- Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**.- The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the	Not applicable	Two years.	By direct recruitment. **Note:** Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 5 (Rs 29200-92300) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and

competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			(b) Possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation), consisting of:-** 1. Director, National Sugar Institute, Kanpur. - Chairperson 2. Assistant Professor or an officer of equivalent Rank, National Sugar Institute, Kanpur. -Member 3. Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur. -Member	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No. A-12018/2/2018-SA]
DHIRENDRA KUMAR, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 360.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, भौतिक रसायन आचार्य और भौतिक रसायनज्ञ (समूह "क", राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2017, जहां तक इनका संबंध आचार्य (भौतिक रसायन) से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में आचार्य (भौतिक रसायन), के पद भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर आचार्य (भौतिक रसायन) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि.—** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।